समाहरणालय मधेपुरा

(जिला प्रोग्राम शाखा)

पत्रांक /प्रो० **प्रथम स्मार**

प्रेषक,

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
मधेपुरा जिला।

मधेपुरा,दिनांक .... /11/2015

विषय :- आई0सी0डी0एस0 योजनान्तर्गत संचालित कार्यक्रमों से संबंधित प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- अधोहस्ताक्षरी कार्यालय का पत्रांक 1167 दिनांक 08.09.15

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि मधेपुरा जिला में आई0सी0डी0एस0 योजनान्तर्गत संचालित कार्यक्रम से संबंधित प्रतिवेदन नीचे दिये गये निर्धारित समय सीमा के अन्दर भेजना अनिवार्य है। जिसकी सूची निम्न प्रकार है:-

क्र0	प्रतिवेदन का नाम	निर्धारित समयावधि
1	MPR online	प्रत्येक माह 01-05 तारीख तक
2	One Pager Report	प्रत्येक माह 01-03 तक
3	अग्रिम भ्रमण	प्रत्येक माह 01-03 तक
4	टी0एच0आर0 वितरण प्रतिवेदन	वितरणोंपरान्त 24 घंटे के अन्दर
5	अन्नप्रासन प्रपत्र-III	प्रत्येक माह 24 तारीख तक
6	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	नवम्बर माह तक का
7	भवन निर्माण जमीन की उपलब्ध/प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन	प्रत्येक माह 01-03 तक
8	मासिक प्रतिवेदन (विभागीय एवं जिला स्तर)	प्रत्येक माह 01-03 तक
9	कैस-बुक की आखरी पन्ने की छायाप्रति	प्रत्येक माह 01-03 तक
10	ILA Microplan	प्रत्येक माह 01-03 तक
11	Court case	प्रत्येक माह 01-03 तक
12	सेविका/सहायिका चयन की स्थिति	प्रत्येक माह 01-03 तक

उपरोक्त वर्णित सूची के आलोक में ज्ञात हो कि आपके द्वारा वांछित प्रतिवेदन कार्यालय को समय सीमा के अन्दर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जिस कारण तय सीमा तक समेकित प्रतिवेदन तैयार नहीं होने के कारण जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्धारित मासिक बैठक में अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है। इस संबंध में कार्यालय द्वारा आपको पूर्व में भी निदेश दिया गया है किन्तु आपके द्वारा आदेश का अनुपालन न करना अधोहस्ताक्षरी के आदेश की सरासर अवहेलना है। जो आपका अपने कार्य के प्रति स्वेच्छाचारिता एवं कर्त्तव्यहीनता को दर्शाता है। आपकी इस प्रवृति के कारण कार्यालय के छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिसकी सारी जिम्मेवारी आपकी है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य के आलोक में आपको अंतिम रूप से स्मारित करते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त सभी संबंधित प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि के अन्दर जिला प्रोग्राम कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें ताकि संबंधित प्रतिवेदन से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया जा सके। विदित हो कि दिये गये आदेश का ससमय अनुपालन न करने पर आपके विरुद्ध विधिसम्वत कार्रवाई की जाएगी साथ ही अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु विभाग को ससूचित कर दिया जाएगा।

विश्वासभाजन

Sd/-

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1509/प्रो0 मधेपुरा, दिनांक 28/11/2015

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

28.11.15

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
मधेपुरा।